# न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0—03 / 22—23

## प्रमेश्वर सिंह वगै0 बनाम मजहर अंसारी वगै0

| आदेश की क्रम एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 2/3/23 | आवेदक प्रमेश्वर सिंह, पिता—स्व0 जगधारी सिंह एवं चन्द्रदेव सिंह, पिता—बिलेश्वर सिंह, ग्राम—बकचुम्बा, थाना—राजपुर, जिला—चतरा के द्वारा न्यायालय अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी का विविध वाद संख्या—03 / 2020—21 में दिनांक—26.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से समय अवधि क्षांत से संबंधित आवेदन के साथ विविध अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया।<br><br>उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने—अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया।<br><br>**प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि—''यह है कि आवेदक अब्दुल सतार के आवेदन के आधार पर खाता** संख्या—75, प्लॉट संख्या—239, रकवा—19.50 एकड़ भूमि में से 30 डी0 भूमि के संदर्भ में अचंल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा विविध वाद संख्या—03 / 2020—21 में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर दिनांक—26.02.2021 को इस वाद के अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी के समक्ष खाता संख्या—75, प्लॉट संख्या—239, रकवा—19.50 एकड़ मे से रकवा—30 डी0 भूमि आवेदक का बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि है। यह है कि दिनांक—06.11.2019 को चन्द्रदेव सिह, पिता—बिलेश्वर सिह एवं रोजन्द्र सिंह, पिता—परमेश्वर सिंह एवं अन्य 10 लोगों के साथ आवेदक का धान फसल जबरजस्ती काट लिया गया है, जिसके लिए एफआईआर दर्ज किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक—26.02.2021 को पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि विपक्षी परमेश्वर सिंह एवं अन्य को पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी अंकित है कि राजस्व | |

उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी का दावा निरस्त किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार, तथ्य विहीन एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है, इसलिए खारिज करने के योग्य है। अंचल अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। यह है कि इस वाद के अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर हुकुमनामा तथा सरकारी रसीद के आधार पर दावा कर रहे है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा दावा बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए यह मामला सिविल कोर्ट का बनता है, अंचल अधिकारी के द्वारा पारित किया गया आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह है कि यदि किसी के द्वारा दूसरे का एक बार किसी का राईट, टाईटल एवं पोसेसन स्वीकार किया गया है तो बाद इंकार नहीं किया जा सकता है। यह है कि अब्दुल सतार एवं उनके अपने भाई निबंधित सेल डीड संख्या–5263/1995 एवं 5261/1955 के माध्यम से बिलेश्वर सिंह, सुरेश सिंह, ईश्वर सिंह, परमेश्वर सिंह एवं कामाख्या सिंह सिंह से खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239 रकवा–06 डी0 भूमि क्रय किये है। इस तरह से उक्त सेल डीड के माध्यम से भूमि खरीद कर अपीलार्थी के राईट, टाईटल एवं पोसेसन को स्वीकार किया गया है। अंचल अधिकारी के आदेश फलक के अवलोकन से पता चल जायेगा कि उनक द्वारा बिना अवसर दिये हुए ही आदेश पारित किया गया है। दिनांक–05.02.2021 को अचंल अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा कि मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने दिए गये निदेश के आलोक में छायाप्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी का आदेश फलक दिनांक–05.02.2021 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दिनांक–26.02.2021 के लिए दिनांक निर्धारित नहीं था परंतु अचंल अधिकारी द्वारा दिनांक–26.02.2021 को आदेश पारित किया गया है, इसलिए यह खारिज करने के योग्य है। यह है कि जमाबंदी वाद संख्या–109/70–71 फर्जी एवं बनावटी कागजात है। यह है कि वाद संख्या–109/70–71 में नागेश्वर सिंह, जगधारी सिंह ईश्वर सिंह एवं खेमा सिंह का नाम दिखाया जा रहा है परंतु खेमा सिंह का बिलेश्वर सिंह, जगधारी सिंह, ईश्वर सिंह के परिवार या प्रश्नगत भूमि से कोई संबंध नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि वाद संख्या–109/70–71 से संबंधित समर्पित कागजात फर्जी एवं बनावटी है, जो सुखदेव दूबे, मुखिया के संरक्षण में तैयार किया गया है। यह है कि अब्दुल सतार के द्वारा हुकुमनामा तथा पर्चा दोनों के आधार पर दावा किया जा रहा है। यह है कि एक ही व्यक्ति हुकुमनामा तथा पर्चा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह है

कि द्वितीय पक्ष के द्वारा सरकारी रसीद संख्या–7B/41 413776/6-08-2009 दाखिल किया गया है। उक्त रसीद के अवलोकन भवदीय को स्पष्ट हो जायेगा कि खाता संख्या–24, 75 के लिए वर्ष 1990 से 2009–10 तक के 20 वर्षो का रसीद निर्गत हुआ है, जिसमें 40 रूपया लगान दिया गया है। यह है कि कथित पर्चा वर्ष 1995–96 का है, जिसके आधार पर खाता संख्या–75, रकवा–30 डी0 भूमि का दावा किया जा रहा है। यह है कि वर्ष 1995–96 के पर्चा के आधार पर वर्ष 1990 का रसीद निर्गत नहीं हो सकता है। यह है कि वर्ष 1995–96 के पर्चा के आधार पर वर्ष 1990 में दानों खाता संख्या–24 एवं 75 का जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत नहीं किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कथित वर्ष 1995–96 का पर्चा फर्जी एवं बनावटी है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा सरकारी रसीद संख्या–993610/2012 इस न्यायालय में दाखिल किय गया है। यह रसीद सिर्फ खाता संख्या–24, रकवा–12 डी0 भूमि का वर्ष 2012 का है, जो खतियानी भूमि है। खाता संख्या–24 के खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या–24 का कुल रकवा–12 डी0 है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब खाता संख्या–24, रकवा–12 डी0 भूमि का रसीद अब्दुल सतार के नाम से 2012 तक का निर्गत है तो खाता संख्या–24, 75 का सरकारी रसीद वर्ष 1990 से 2009 तक का कैसे निर्गत हो सकता है। यह है कि खाता संख्या–75, रकवा–30 डी0 भूमि एवं खाता संख्या–24, रकवा–12 डी0 कुल रकवा–42 डी0 भूमि का वर्ष 1990 से रसीद 41413776/06.08.2009 निर्गत नहीं हो सकता है, परंतु इस वाद के द्वितीय पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है। इस तरह से स्पष्ट है कि अब्दुल सतार मियॉ निम्न न्यायालय मे फर्जी एवं बनावटी कागजात के आधार पर दावा किया गया है जो सही नहीं है। यह है कि यदि इस वाद के अपीलार्थी को सुनवाई हेतु मौका दिया गया होता तो सभी तथ्य प्रकाश में आ गये होते परन्तु अचंल अधिकारी द्वार सुनवाई हेतु मौका नहीं दिया गया। यह है कि अपीलार्थी के वर्ष–1934 के हुकुमनामा के आधार पर दावाा किया जा रहा है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अब्दुल सतार सहित कई लोगो को निबंधित सेल डीड के माध्यम से भूमि बिक्री की गई है। यह है कि चोवा देवी बनाम बिहार राज्य से संबंधित मामले में पारित आदेश के आधार पर अपीलार्थी को खाता संख्या–75, रकवा–11.85 भूमि पर रैयती अधिकार माना जायेगा। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के आधार अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता** अपने **लिखित अभिकथन** में **यह उल्लेखित किया है कि**–''साकिन/मौजा–बकचुम्बा, थाना नं0–121, थाना–राजपुर, जिला–चतरा के अंतर्गत खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–13.50 एकड़ मधे 30 डी0 जमीन विद्वान अंचल अधिकारी, चतरा, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा पर्चा से विपक्षी अब्दुल सतार के नाम से बन्दोबस्ती की जमीन, जिसका बन्दोबस्ती वाद संख्या–103/1995–96 है। यह कि मौजुदा अपील वाद संख्या–2022–23 विद्वान अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा विविध वाद संख्या–03/2020–21 में पारित आदेश दिनांक–26.02.2021 के विरूद्ध वाद अपील अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किया गया है। यह कि अपीलार्थी अपने मेमो ऑफ अपील में यह अभिकथन किया है कि खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–11.85 एकड़ जमीन नेमधारी सिंह, जगधारी सिंह, महादेव सिंह एवं विलेश्वर सिंह इन सभी में विलेश्वर सिंह अभी जीवित है तथा शेष उपरोक्त व्यक्ति मरे गये। उपरोक्त लोगों के वारिसान शांतिपूर्वक, काबिज, दखलकार चले आ रहे हैं। यह कि अपीलार्थी के द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–19.50 एकड़ के अंतर्गत बन्दोबस्त वाद संख्या–103/1995–96 के द्वारा अब्दुल सत्तार के नाम से बन्दोबस्त पर्चा निर्गत किया गया है, जो अवैध है, अब्दुल सत्तार का बन्दोबस्ती पर्चा के आधार पर कोई हक, अधिकार, दखल कब्जा नही हुआ है। यह कि अपीलार्थी के द्वारा यह अभिकथन किया है कि अब्दुल सत्तार के नाम से बंदोबस्त किया गया पर्चा में दर्शाया गया चौहद्दी के आधार पर दावा नही करता है। अपीलार्थी अपने अपील में यह भी कहा है कि आवेदक को अंचल अधिकारी, चतरा के द्वारा रैयती मान्यता दिया गया तथा अंचल अधिकारी को अपीलार्थी के दखल–कब्जा पर विचार किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ने अपने मेमो ऑफ अपील में यह भी अभिकथन किया है कि पुराना चला आ रहा जमाबंदी को इस जमीन को नया जमाबंदी नहीं खोला जा सकता है, अपीलार्थीगण को हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद, सरकारी मालगजारी रसीद तथा कोई बिक्रय–पत्र पर अंचल अधिकारी को विचार किया जाना चाहिए था, जिस कारण अपीलार्थी का अपील स्वीकार किया जाय। **यह कि विपक्षी का मुकदमा है कि**:– यह कि साकिन/मौजा–बकचुम्बा, थाना नं0–121, थाना–चतरा, वर्तमान थाना–राजपुर, जिला–चतरा के अंदर **खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–239, कुल रकवा–19.50 एकड़ जमीन है, जो सर्वे खतियान में**

**जंगल–झाड़ी दर्ज है।** यह कि उपरोक्त वर्णित जमीन जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकार में निहित हो गई तथा बिहार सरकार खाता संख्या–75, प्लॉट सख्या–239, रकवा–19.50 एकड़ जमीन पर हक, अधिकार प्राप्त हो गया। यह कि श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–19.50 एकड़ जमीन में से 6.00 एकड़ जमीन वन विभाग में अन्तर्निहित हो गया, शेष 13.50 एकड़ जमीन को भूमिहीन, निर्धन व्यक्तियों के बीच पर्चा के द्वारा बन्दोबस्त कर दिया गया, इसी में से एक अब्दुल सत्तार को खाता सख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–13.50 एकड़ में से 30 डी0 जमीन, जिसका चौहद्दी उत्तर–जुगेश्वर सिंह, दक्षिण–परती कदीम, पुरब–रकीम मियां, पश्चिम–अब्दुल सत्तार वगैरह साकिन/मौजा–बकचुम्बा की जमीन को विपक्षी अब्दुल सत्तार के नाम से पर्चा से बन्दोबस्त किया/कर दिया गया, जिसका वाद संख्या–103/1995–96 है। यह कि महत्वपूर्ण बात उल्लेख करना है कि प्लॉट संख्या–239, रकवा–19.50 एकड़ मधे 13.50 एकड़ जो वन सीमा के बाहर है, इसे हड़पने हेतु प्रथम पक्ष के पिता विलेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह, ईश्वर सिंह, जगधारी सिंह एवं खेमा सिंह, भूतपूर्व जमीन्दार बाबु मुरली मनोहर लाल, चतरा का सन् 1944 का जाली हुकुमनामा तैयार कर तीन प्लॉट का कुल रकवा–30.36 एकड़ का जमाबंदी खोलने हेतु अंचल अधिकारी, चतरा के समक्ष दिनांक–09.09.1966 को आवेदन दिये, जिस पर जमाबंदी सृजन वाद संख्या–109/1970–71 दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी प्राप्त होते सुखदेव दुबे तत्कालीन मुखिया एवं 43 अन्य ग्रामीण ने आपति आवेदन दिया। कारण कि 1944 के हुकुमनामा में अंकित तीनों प्लॉट के सभी जमीन भूमिहीन के बीच पर्चा के माध्यम से बन्दोबस्ती करने हेतु अभिलेख पूर्व से प्रस्तावित था। बन्दोबस्ती वाद में भूमिहिन को दखल–कब्जा का भू–राजस्व कर्मचारी ने पर्चाधारी लोगों का मकान एवं जमीन में दखल कब्जा पाया गया तथा अंचल अमीन एवं भू–राजस्व कर्मचारी लोगों के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार तथा भौतिक सत्यापन करते हुए सभी भूमिहीन व्यक्तियों को पर्चा से बन्दोबस्ती कर दिया तथा इस अपील वाद को विपक्षी अब्दुल सत्तार को भी पर्चा बन्दोबस्त दिनांक–10.06.1996 को कर दिया गया। यह कि श्रीमान् का महत्वपूर्ण बात ध्यान आकृष्ट कराना है कि जब अपीलार्थी के पूर्वज 1970 ई0 में 1944 ई0 का हुकुमनामा से प्रश्नगत जमीन के अलावे अन्य दो प्लॉट संख्या–237 एवं 1189 का कुल रकवा–30.36 एकड़ जमीन का जमाबंदी खोलने हेतु आवेदन दिया, जिसे उच्चाधिकारी अनुमण्डल

दण्डाधिकारी चतरा के द्वारा दिनांक–07.12.1970 को निरस्त कर दिया गया तथा उक्त आदेश के आलोक में सभी भूमिहीनों को बन्दोबस्ती पर्चा दिया गया है। यह कि श्रीमन् का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि अपीलार्थी ने अपने मेमो ऑफ अपील में हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद को दर्शाया, परंतु किस साल सम्वत् का हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद का है, इस बात का जिक्र नहीं किया है। जबकि अपीलार्थी ने प्रश्नगत जमीन को दो जाली हुकुमनामा के आधार पर दावी करने का प्रयास किया गया, जिसे पूर्व के भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा के द्वारा दिनांक–07.12.1970 को निरस्त कर दिया गया। यह कि श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि वर्ष 1970 में उच्चाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा पारित आदेश के पश्चात् वर्ष 1944 का हुकुमनामा में अंकित खाता संख्या–75 का प्लॉट संख्या–237 रकवा–12.79 एकड़ जमीन को भूमिहीन हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के नाम से बिहार सरकार अंचल चतरा के द्वारा बन्दोबस्त कर दिया गया, जिसपर सभी दखल काबिज है। ठीक इसी से खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–19.50 एकड़ में 06.00 एकड़ वन विभाग को छोड़कर शेष जमीन भूमिहीन ललिता देवी पति लालो ठाकुर को 0.72 डी0, जुगेश्वर प्रजापति एवं उदी प्रजापति 2.45 एकड़ लालो ठाकुर को 1.30 एकड़ सदीक मियां को 0.69 एकड़ रजाक मियां को 1.00 एकड़ एवं अन्य व्यक्तियों को सरकार के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया, इसी प्रकार आवेदक अब्दुल सत्तार को भी खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–13.50 एकड़ में से 30 डी0 जमीन का सरकारी बंदोबस्ती से प्राप्त है तथा सभी पर्चाधारियों द्वारा पक्का मकान शौचालय एवं चाहरदीवारी, पेड़–पौधा लगाया गया है तथा शेष जमीन पर जोत–कोड़ करते चले आ रहे हैं। यह कि श्रीमान का पुनः ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है कि अपीलार्थीगण ने भू–पर्चाधारियों की जमीन हड़पने हेतु सन् 1995–96 ई0 में सन् 1934 ई का जाली हुकुमनामा तैयार करवाकर झुठा दावी करने लगा तथा इससे पूर्व सन् 1969–70 ई0 प्रश्नगत जमीन से संबंधित एवं अन्य दो प्लॉट की जमीन का हुकुमनामा सन् 1944 ई0 बनाया गया, जो दोनों हुकुनामा को अवैध पाते हुए निरस्त कर दिया गया तथा हुकुमनामा के आधार पर जमाबंदी आज तक कभी नहीं खुला है। फिर भी न्यायालय को गुमराह करना चाहते हैं। यह कि विपक्षी अब्दुल सत्तार के द्वारा भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बन्दोबस्ती वाद संख्या–25/1992–93 में अंचल राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रश्नगत जमीन से संबंधित दिनांक–16.04.1995 ई0 को दिये गये राजस्व एवं

स्थल जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन के पैरा 05 में वर्णित किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा जमीन से संबंधित दस्तावेज माँगने पर कोई दस्तावेज नहीं दिखलाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जमीन हड़पने झुठा दावा करने हेतु जाली एवं बनावटी कागजात बनाकर न्यायालय में दाखिल करना चाहते हैं। अपीलार्थीगण के पूर्वजों का खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–237 एवं 240 का दो रजिस्ट्री पट्टा क्रमशः 18.01.1993 एवं दिनांक–06.09.1948 के आधार पर जमाबंदी खोला गया तथा सरकारी रसीद में खाता संख्या–75 दर्ज तथा प्लॉट संख्या दर्ज नहीं था, जिस कारण से छल–कपट एवं धूर्तता के आधार पर कुछ गरीब, अशिक्षित व्यक्तियों के नाम से एकरारनामा एवं बिक्रय पत्र बनवा दिया, परंत एक भी क्रेता एवं एकरारकर्त्ता जमीन पर काबिज दखलकार नहीं हुए अपीलर्थीगण के द्वारा गलत ढंग से इस विपक्षी के जमीन में लगे फसल को बलपूर्वक काटने का प्रयास करने लगा तो अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी में अब्दुर सत्तार का आवेदन दिया गया, जिसपर विविध वाद संख्या–03/2020–21 दर्ज होकर अपीलार्थीगण को प्रश्नगत जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परंतु अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल निरीक्षक एवं भू–राजस्व कर्मचारी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन के क्रम में दखल–कब्जा नही पाया गया तथा जमाबंदी सृजन वाद संख्या–109/1970–71 प्रश्नगत जमीन से संबंधित दो अलग अलग सादा हुकुमनामा के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया, जिसे निरस्त किया जा चुका है। अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा सुक्षमता पूर्वक न्यायोचित जॉच पड़ताल करने के पश्चात् आवेदक अब्दुल सत्तार को आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा अपीलार्थी के दावा को खारिज कर दिया गया। विपक्षी अब्दुल सत्तार के अतिरिक्त अन्य भूमिहीन भू–पर्चाधारियों को बन्दोबस्त वाद चलाकर जमीन बन्दोबस्त किया गया है, जिसका आदेश फलक बहस के साथ संलग्न किया जा रहा है। विपक्षी अब्दुल सत्तार के द्वारा अपीलार्थी का जाली, बनावटी हुकुमनामा सम्वत् 1999 साल एवं दूसरा कबुलियत हुकुमनामा बन्दोबस्ती सन् 1934 ई0 को दाखिल किया जा रहा है, जो दोनों को सन् 1970–71 ई0 एवं सन् 1995–96 में निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थी का सरकारी मालगुजारी रसीद दाखिल किया जा रहा है, जो श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि दो केवाला के आधार पर जमाबंदी खुला था तथा जमाबंदी खुला था तथा सरकारी रसीद में प्लॉट नहीं दर्शाये जाने के कारण धूर्तता पूर्वक अशिक्षित व्यक्तियों के साथ किसी तरह से प्लॉट

संख्या–239 को बिक्री केवल रसीद में अंकित खाता संख्या–75 का गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से किया गया है। अपीलार्थीगण का सम्पूर्ण जमाबंदी पंजी–2 का छायाप्रति दाखिल किया जा रहा है, इससे ध्यान आकृष्ट कराना है, बाबु राधा गोपाल लाल पिता मुरली मनोहर, चतरा के द्वारा दो निबंधित केवाला के द्वारा आदित्य सिंह, जगधारी सिंह विलेश्वर सिंह, महादेव सिंह राजदेव सिंह के नाम से तथा देवनाथ सिंह के नाम से खतियानी जमीन मिलाकर कुल 66.56 एकड़ जमीन बिक्री एवं खतियान से प्राप्त है। जिसमें सभी खाता दर्ज है, जिसका सरकारी मैन्युअल मालगुजारी रसीद दाखिल किया है। यदि खाता संख्या–75 के प्लॉट संख्या–239 की जमीन का जमाबंदी चला होता तो कुल 79.00 एकड़ जमीन का जमाबंदी चल रहा होता, जो कि ऐसा नहीं है। अपीलार्थीगण का खाता संख्या–75 के अलावे अन्य खाता का जमाबंदी एक ही रसीद में चल रहा हैं, जिसमें खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–239 सम्मिलित नही है। क्योंकि अपीलार्थीगण के पूर्वज के द्वारा वर्ष 1970 में वर्ष 1944 के हुकुमनामा के आधार पर लाया गया जमाबंदी सृजन वाद संख्या–109/1970–71 को निरसत कर दिया गया। जिसमें प्लॉट संख्या–239 का कुल रकवा–13.50 एकड़ सम्मिलित था। इस प्रकार जब वर्ष 1970 तक उक्त प्लॉट का जमाबंदी नहीं खुला तो इससे साफ जाहीर होता है कि अपीलार्थी प्रश्नगत जमीन पर बाजबरन बिना कागजात का झुठा दावी कर रहे हैं। अपीलार्थीगण ने गलत ढंग से अभिकथन किया है कि प्रश्नगत जमीन पर जसवंत सिंह, कृष्णा सिंह, लक्ष्मी सिंह, सत्येन्द्र सिंह वगैरह का दखल–कब्जा है। इस आलोक में निवेदन करना है कि प्रश्नगत जमीन सभी भू–पर्चाधारीगण का मकान, चाहरदीवारी, पेड़–पौधा इत्यादि है, जिसका जॉच यदि आवश्यकता समझा जाए तो श्रीमान् के द्वारा अपने स्तर से किया जा सकता है। अपीलार्थी ने पुनः अपने लिखित कथन के पैरा 07 में अभिकथन किया है कि आवेदक को अपने बातों को सिद्ध करना है कि इस आलोक में निवेदन है कि अपीलार्थी के द्वारा अपील लाया गया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 101 एवं 102 सबूत का भार अपीलार्थी का है, जो अपने आवेदन में हुकुमनामा या जमीन्दारी रसीद किस सम्वत् साल का है, इसे कही भी उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी अब्दुल सत्तार जमीन गैरमजरूआ जमीन जंगल–झाड़ी किस्म का है, खाता संख्या–75 की जमीन जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकार में निहित हो गई है तथा सरकार के द्वारा सभी भूमिहीन पर्चाधारी के नाम से खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, रकवा–13.50 एकड़ जमीन में पर्चा के द्वारा बन्दोबस्त

किया गया है, जिसका आदेश का फलक का सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति दाखिल किया है, अपीलार्थी सरकारी जमीन हड़पने हेतु जाली, बनावटी, कुटरचित हुकुमनामा तैयार कर दावा करने का प्रयास कर रहा है। अपीलार्थीगण ने न्यायालय को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से विपक्षी को हुकुमनामा के आधार पर दावी कर रह है, जबकि विपक्षी अब्दुल सत्तार पर्चा के आधार पर दावी करते हैं तथा अपने पर्चा के अनुसार 30 डी0 जमीन पर मकान एवं घर–बारी है, जो निर्विवाद्ध रूप से काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा जाली हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद दाखिल किया है, जिसे विपक्षी के द्वारा हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद जाली होने के सिद्ध कर दिया गया है, लेकिन अपीलार्थीगण मुँहजोर रहने के कारण तथा अपने जाली, बनावटी हुकुमनामा एवं जमाबंदी को छुपाने हेतु उल्टा विपक्षी पर्चा को जाली बताया जा रहा है। खाता सख्या–75 प्लॉट संख्या–239 रकवा–13.50 एकड़ जमीन का कभी भी जमाबंदी अपीलार्थी का नही था और न ही है। इसके आलोक में जमाबंदी पंजी अपीलार्थीगण का विपक्षी के द्वारा दाखिल किया जा चूका है, जिसे जमाबंदी पंजी–2 मूल मांगकर जॉच किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के द्वारा लिखित कथन में अभिकथन किया है, जुगेश्वर प्रजापति क्रिमिनल मुकदमा में हुकुमनामा से हासिल करने की बात कंहा है, परंत इसमें जुगेश्वर प्रजापति पक्षकार नही है, इस वाद से कोई सबंध नही है तथा झुठी बातों के आधार पर न्यायालय को अपीलार्थीगण ने भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। यह कि अपीलार्थी ने अभी तक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा दिनांक–07.12.1970 को जमाबंदी सृजन वाद संख्या–109/1970–71 में पारित ओदश का चुनौती किसी भी न्यायालय में नहीं किया है एवं अपीलार्थीगण ने अभी तक पर्चाधारियों के पर्चा को निरस्त करने हेतु किसी न्यायालय में चुनौती नहीं किया है, जो समय सीमा से बाधित है, जिस कारण अपीलार्थी का अपील पोषणीय नही है तथा खारिज करने के लायक है। अतएव, श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों एवं उपरोक्त कथित सभी बिन्दुओं पर न्यायहित में सहानभुति पूर्वक विचार करते हुए अपीलार्थी के द्वारा लाया गया अपील को खारिज किया जाय तथा जमाबंदी सृजन केश नं0–109/1970–71 में उच्चाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर दिनांक–26.02.2021 को पारित न्यायोचित आदेश को यथावत् रखने की कृपा की जाय, ताकि भूमिहिन विपक्षी का बन्दोबस्ती जमीन को अपीलार्थीगण के द्वारा हड़पने से रोका जा सके।''

**अचंल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि**–''आवेदक अब्दुल सतार उर्फ सतार मियां, पिता–स्व0 पीर मुहम्मद, साकिन मौजा–बकचुम्बा के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में यह अभिलेख का संधारण किया जा रहा है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि साकिन मौजा–बकचुम्बा, थाना–राजपुर अंतर्गत खाता संख्या–75 के प्लॉट संख्या–239 रकवा–19.50 ए0 मधे रकवा–0.30 ए0 भूमि बिहार सरकार के द्वारा भू–बंदोबस्ती केश संख्या–103 / 1995–96 से आवेदक के नाम बंदोबस्ती का पर्चा निर्गत किया गया। पर्चा निर्गत के साथ ही प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। परंतु प्रश्नगत भूमि पर आवेदक द्वारा धान का फसल लगाया गया था, जिसे चन्द्रदेव सिंह, पिता–विलेश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह, पिता–प्रमेश्वर सिंह वगै0 साकिन मौजा–बकचुम्बा द्वारा हथियार के बल पर दिनांक–06.11.2019 को इस संबंध में आवेदक के द्वारा लिखित रूप से थाना प्रभारी राजपुर को सूचित किया गया। प्रश्नगत भूमि से संबंधित श्री चन्द्रदेव सिंह वगै0 के द्वारा रसीद दिखाकर भूमि पर दावा किया जा रहा है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा न्याय हेतु अनुरोध किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन से प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम–बकचुम्बा के खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–239 कुल रकवा–19.50 ए0 भूमि में से रकवा–6.00 ए0 भूमि वन विभाग का है, शेष भूमि पर विभिन्न ग्रामीणों को बन्दोबस्ती पर्चा के द्वारा बन्दोबस्त किया गया है। खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–239 रकवा–0.30 ए0 भूमि बंदोबस्ती केश संख्या–103 / 19–96 के द्वारा अब्दुल सत्तार पिता पीर मोहम्मद को हासिल है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृ0संख्या–129 / 1 पर कायम है। स्थानीय लोगों से पुछ–ताछ के क्रम में विवादित स्थल की भूमि पर अब्दुल सत्तार का दखल कब्जा बताया गया है। प्रथम पक्ष उपस्थित होकर सत्यापित प्रति जिसमें बिहार सरकार द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती पर्चा 01 पन्ना, जमाबंदी सृजन केश संख्या–109 / 1970–71 में पारित आदेश की प्रति, भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा विक्रम सम्बत 1999 में निर्गत सादा हुकुमनामा का सत्यापित प्रति तथा विक्रम सम्वत 1936 में निर्गत हुकुमनामा का सत्यापित प्रति सदर अंचल चतरा के द्वारा राजस्व कर्मचारी का सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया उभय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा की प्रति प्रस्तुत किया गया। आवेदक अब्दुल सतार पिता स्व0 पीर मुहम्मद

ग्राम–बकचुम्बा द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में प्रतिपक्षी प्रमेश्वर सिंह वगैरह को अपना दावा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने हेतु नोटिश का तामिला किया गया उन्हे अपना दावा सिद्ध करने हेतु पर्याप्त अवसर भी दिया गया परंतु अबतक प्रतिपक्षीगण की ओर से अपना ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस मामले से संबंधित प्रश्नगत विवादी भूमि से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा तथा जमाबंदी सृजन केश संख्या–109/1970–71 में पारित आदेश की सत्यापित प्रति प्रश्नगत भूमि का संबंधित भूतपूर्व जमीन्दार दिये गये दो अलग अलग हुकुमनामा प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधित कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के पश्चात् ज्ञात होता है कि इस मामलें में संबंधित भूखण्ड खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–239 भूमि पर प्रतिपक्षीगण द्वारा किया जा रहे दावा को अमान्य एवं निरस्त किया जा चुका है । आज की तिथि में प्रतिपक्षीगण पूर्व निष्पादित मामले को पुनः जीवित कर भूमि विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अतः जमाबंदी सृजन केश संख्या–109/1970–71 में नियमानुसार उच्चाधिकारी के स्तर पर निष्पादित मामले पर पुनः इस न्यायालय द्वारा विचारण एवं सुनवाई करना संभव नहीं है। यह स्थापित न्यायिक प्रकिया के प्रतिकुल होगा। अतः उपरोकत तथ्यों के आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकृत करते हुए प्रतिपक्षीगण के दावा को खारिज किया जा सकता है।''

अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी से प्राप्त अभिलेख में संलग्न राजस्व उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि–''ग्राम–बकचुम्बा के खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, कुल रकवा–19.50 एकड़ भूमि **सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। किस्म जमीन जंगल दर्ज है।''**

**उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्न बिन्दु परिलक्षित होता है :–**

⟹ **गैरमजरूआ खास भूमि का मामला।**

⟹ **<u>गैरमजरूआ खास भूमि का मामला</u>** :– अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी से प्राप्त अभिलेख में संलग्न राजस्व उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि–''ग्राम–बकचुम्बा के खाता संख्या–75, प्लॉट संख्या–239, कुल रकवा–19.50 एकड़ भूमि **सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। किस्म जमीन जंगल दर्ज है।''**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020, पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016, पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.2017, पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं 2884/रा0, दिनांक–10.07.2018 एवं 6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 के माध्यम से अवैध जमाबंदी को रद्द करने तथा नियमित करने एवं अन्य से संबंधित मामले पर दिशा–निर्देश प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत्/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही भूमि के किस्म के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करना है। संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर ॥ एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए नियमसंगत/विधिसम्मत् अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी को अग्रतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

02/03/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

02/03/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.28 23:01:58 -07:00
Location: 2409:40e5:9e:758a:b92c:7818:9d7f:7e68